निर्णय [illegible] की [illegible] वर्मा आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद जिला बारां द्वारा [illegible]

प्रकरण संख्या 37 / 2016 [illegible]
दायरा दिनांक 08.07.2016
निर्णय दिनांक 25.04.2017

[illegible]

[illegible] पुत्र [illegible] जाति धाकड़ निवासी [illegible] तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां राजस्थान [illegible]

1 [illegible] पुत्र [illegible]
2 [illegible] पत्नि [illegible]
3 [illegible] पुत्री [illegible]
4 [illegible] पुत्री [illegible] जाति धाकड़ निवासी [illegible] तहसील छीपाबड़ौद

बनाम

[illegible] पुत्र [illegible] जाति धाकड़ निवासी [illegible] तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां राजस्थान

वाद अन्तर्गत धारा 188, 92 (ए) आर.टी.एक्ट
निर्णय दिनांक 25.04.2017

अभिभाषक उपस्थित 1 श्री बृजमोहन [illegible] वादी
2 श्री कुंज बिहारी नागर प्रतिवादी

अभिभाषक वादीगण द्वारा वाद एक अन्तर्गत धारा 188, 92 (ए) आर.टी.एक्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वादी ग्राम [illegible] तहसील छीपाबड़ौद मे स्थित खाता संख्या 113 मे स्थित आराजी खसरा नंबर 73 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा खसरा नंबर 74 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा खसरा नंबर 595 / 114 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा खसरा नंबर 595 / 30 रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा [illegible] मे वादी के खातेदारी एव कब्जे काश्त मे [illegible] चली आ रही है। वादी ने अपने खातेदारी [illegible] कब्जे काश्त की उक्त वर्णित आराजी को [illegible] [illegible] प्रतिवादी की नियत मे बदयानित आ गई है और वह वादी के खातेदारी एव कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं. 595 / 114 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा आराजी पर जबरन बलपूर्वक कब्जा करना चाहता है [illegible] प्रतिवादी को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। दिनांक 17.06.2010 को प्रतिवादी [illegible] खातेदारी एव कब्जे काश्त की उक्त आराजी खसरा नंबर 595 / 114 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा पर [illegible] बलपूर्वक कब्जा करने की नियत से आया, वादी ने उक्त आराजी पर कब्जा करने से मना [illegible] प्रतिवादी लडाई–झगडे पर आमादा हुआ गवाहान ने बीच बचाव कराया [illegible] वादी को धमकी दी है, कि उक्त आराजी पर आयन्दा जबरन बलपूर्वक कब्जा [illegible] प्रतिवादी ने अपने इरादे के मुताबिक वादी के खातेदारी एव कब्जे काश्त की उक्त आराजी खसरा 595 / 114 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा पर जबरन बलपूर्वक कब्जा कर लिया तो वादी को [illegible] होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति न तो द्रव्य मे आकी जा सकती है, और न ही की जा सकती है, वादी [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

Scanned by CamScanner

कब्जा प्राप्त करने मे कई मुकदमेबाजी मे उलझकर समय व धन की अपरिमित क्षति उठानी पडेगी कभी ना खत्म होने वाले मुकदमेबाजी का सिलसिला चल जावेगा। वाद कारण दिनांक 17.06.2010 को प्रतिवादी द्वारा वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नंबर 595/114 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा पर जबरन बलपूर्वक कब्जा करने का असफल प्रयास करने पर तथा वादी द्वारा जबरन कब्जा करने से मना करने पर प्रतिवादी द्वारा आयन्दा जबरन बलपूर्वक कब्जा करने की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ। वादी द्वारा वाद स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी की की और से जवाब दावा पेश हुआ। वादी ने अपने पक्ष के समर्थन मे नकल जमाबन्दी ग्राम बडाय सम्वत् 2066–69 खाता संख्या 113 पेश की गई। साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू 1 जगदीश, पी. डब्ल्यू 2 राधेश्याम के बयान कराये गये। प्रतिवादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में साक्ष्य प्रतिवादी डी. डब्ल्यू 1 हरनारायण, डी.डब्ल्यू 2 रामनरेश, डी.डब्ल्य 3 चम्पालाल के बयान कराये गये।

वादी के वाद पत्र एवं प्रतिवादी के जवाब दावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई :–

1. आया कि ग्राम बडाय खसरा नंबर 73 रकबा 3.16 बीघा, खसरा नंबर 74 रकबा 1.13 बीघा, खसरा नंबर 595/114 रकबा 1.15 बीघा, खसरा नंबर 595/30 रकबा 9.11 बीघा कुल किता 4 रकबा 16. 15 बीघा वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है। **वादी**
2. आया कि उक्त आराजी मे से खसरा नंबर 595/114 रकबा 1.15 बीघा पर प्रतिवादी दिनांक 17.06. 2010 को 17.06.2010 को जबरन बलपूर्वक कब्जा करने आया। **वादी**
3. आया कि ग्राम बडाय तहसील छीपाबड़ौद की खसरा नंबर 595/114 रकबा 1.15 बीघा पर प्रतिवादी का हमेशा से कब्जा काश्त चला आ रहा है, तथा पारिवारिक बाहमी बटवारा से प्रतिवादी के हिस्से में आयी है। वाद खारिज योग्य है। **प्रतिवादी**
4. अनुतोष

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान् सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी का कथन है, कि वाके ग्राम बडाय में 16.15 बीघा भूमि स्थित है। आराजी खसरा नंबर 595/114 रकबा 1. 15 बीघा को हाक जोत कर तैयार कर रखी थी। प्रतिवादी ट्रेक्टर लेकर आया व उक्त आराजी पर कब्जा करने की कोशिश की। इसलिए वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमावें कि वह वादी के कब्जे काश्त में दखल अंदाजी एवं मजाहत नही करें। नकल जमाबन्दी खातेदारी संलग्न है। दौराने बाद वादी का देहान्त होने के उपरान्त वारिसान पुत्र पत्नि पुत्री को कायम मुकामान बनाया। साक्ष्य में पी. डब्ल्यू 1 जगदीश, पी.डब्ल्यू 2 राधेश्याम के बयान कराये है दावे को पूर्णतया साबित किया है। विवादित आराजी वादी के खातेदारी की है, तथा कब्जे काश्त में है प्रतिवादी ने कथन किया कि बाहमी बटवारे के समय प्रतिवादी का कब्जा बताया है। शामलाती खाते व बटवारा होने पर सभी हिस्सेदारो के 16.15 बीघा भूमि हिस्से में आयी। सभी खातेदार अपनी–अपनी भ काश्त कर रहे है। यह बात प्रतिवादी ने गवाहन रामनरेश, चम्पालाल से भी साबित है। इस प्रकार ख नंबर 595/114 रकबा 1.15 बीघा आराजी मेरे खाते एवं कब्जे की है, जिस पर प्रतिवादी को कब्जा

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारा

Scanned by CamScanner

खातेदारी एवं कब्जे काश्त मे दर्ज है। वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी पर प्रतिवादी को कब्जा करने का कोई अधिकार नही है। प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत नही किया, जिससे खसरा नंबर 595/114 रकबा 1.15 बीघा भूमि पर प्रतिवादी का कब्जा काश्त साबित हो सके। प्रतिवादी विवादित आराजी पर कब्जा साबित करने में विफल रहे है। वादी प्रतिवादी को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है। अतः यह तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नंबर 3 :– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी को था। प्रतिवादी द्वारा खसरा नंबर 595/114 रकबा 1.15 बीघा पर कब्जे बाबत् ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य व सबूत पेश नही किया, जिससे विवादित भूमि पर प्रतिवादी का कब्जा काश्त साबित हो सके। प्रस्तुत रिकार्ड जमाबन्दी ग्राम बडाय खाता संख्या 113 के अनुसार खसरा नंबर 595/114 वादी के खातेदारी मे दर्ज है। प्रतिवादी ने बाहमी बटवारे बाबत् भी ऐसा कोई रिकार्ड व दस्तावेज प्रस्तुत नही किया, जिससे उक्त विवादित आराजी प्रतिवादी के बाहमी बटवारे में आई हो, और प्रतिवादी का कब्जा काश्त चला आ रहा हो। प्रतिवादी कब्जा काश्त साबित करने में एवं उक्त भूमि बाहमी बटवारे में आई हो, तभी से प्रतिवादी का कब्जा काश्त चला आ रहा हो। यह सब साबित करने में विफल रहे है। डी.डब्ल्यू 2 रामनरेश ने अपनी जिरह मे बताया कि मेरे पिता बद्रीलाल व धन्नालाल के बीच भी अदालत में खाता विभाजन हुआ था, जिसमे सबके खाते अलग–अलग हो गये। सभी अपने–अपने खातो की जमीन काश्त करते है। पाचूलाल फोत हो चुका है। पाचूलाल के खाते की जमीन को इनका लड़का जगदीश काश्त करता है। डी.डब्ल्यू 3 चम्पालाल ने अपनी जिरह में बताया कि यह सही है, कि पाचूलाल जी के हिस्से की जमीन पाचूलाल जी काश्त करते थे। उनके मरने के बाद उनका लड़का जगदीश काश्त करता है। प्रस्तुत रिकार्ड व दस्तावेज एवं गवाहों की जिरह से यह साबित है, कि विवादित आराजी वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है। पाचूलाल जिन्दा था, तब पाचूलाल जी काश्त करते थें। उनके मरने के बाद उनका लड़का जगदीश काश्त करता है। अतः यह तनकी प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

उपरोक्त तनकीयात के विवेचन से यह साबित होता है, कि विवादित आराजी वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है। विवादित भूमि पर प्रतिवादी अपना कब्जा काश्त साबित करने में विफल रहे है। वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है, कि विवादित आराजी वाके ग्राम बडाय तहसील छीपाबड़ौद के खसरा नंबर 595/114 रकबा 1.15 बीघा पर वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि पर जबरन बलपूर्वक कब्जा नही करें तथा वादी के शान्ति पूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाज नही करें। तद्नुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद, जिला बारां

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 97/2010	धारा अन्तर्गत 188, 92 ए. RTA	निर्णय दिनांक : 25.04.2017
समक्ष : श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद जिला बारां		
उपस्थिति : अभिभाषक वादी:– श्री बृजमोहन मालव	अभिभाषक प्रतिवादी:– श्री कुंज बिहारी नागर	

वाद शीर्षक

उनवान

पांचूलाल पुत्र पन्ना जाति धाकड़ निवासी बडाय तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां राजस्थान (मृतक)
1/1 जगदीश पुत्र पांचूलाल
1/2 पानाबाई वेवा पांचूलाल
1/3 घीसीबाई पुत्री पांचूलाल
1/4 सुगनाबाई पुत्री पांचूलाल जाति धाकड निवासी बडाय तहसील छीपाबडौद

बनाम

हरनारायण पुत्र गोपीलाल जाति धाकड निवासी बडाय तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां राजस्थान

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद मे यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है, कि विवादित आराजी वाके ग्राम बडाय तहसील छीपाबडौद के खसरा नंबर 595/114 रकबा 1.15 बीघा पर वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि पर जबरन बलपूर्वक कब्जा नही करें तथा वादी के शान्ति पूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी नही करें।

साथ ही नियमानुसार ..... रू0 का व्ययानुतोष ..... द्वारा ..... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 25.4.17 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद

व्ययानुतोष			
क्र. सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (%)		
10.	योग		

प्रतिवादी ने अपने इरादे के मुताबिक वादी के खाते

Scanned by CamScanner